इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

नीलामी सूचना

नीलामी की तिथि एवं समय : दिनांक 26.08.2021 एवं पूर्वाह्न 11:00 बजे

नीलामी का स्थान : एम–ब्लॉक, उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **'एम' ब्लाक** में स्थिति **09 दुकानों : भू–तल पर 05 दुकानें** (1 मिल्क बूथ, 2 फ्रेश जूस व फल, 1 ट्रैवल ऐजेन्ट एवं 1 कलेक्शन सेन्टर ऑफ सैम्पल्स फॉर पैथोलॉजिकल टेस्ट) **एवं प्रथम तल पर 4 दुकानें** (1 मेडिसिन शाप, 2 फोटोग्राफी शाप, 1 इण्टरनेट कैफे) एवं **08 केबिनों : भू–तल पर 04 केबिन** (01 बैण्ड/गाउन/कोट सेलर, 02 स्टेशनरी सेलर, 01 टाइपिस्ट) एवं **प्रथम तल पर 04 केबिन** (01 स्टैम्प वैण्डर, 01 स्टेशनरी सेलर, 01 टाइपिस्ट, 01 लाई चना एवं पॉपकॉर्न सेलर) को दिनांक 01.09.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि हेतु अनुज्ञप्ति पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उपरोक्त वर्णित **दुकानों एवं केबिनों** की **नीलामी दिनांक 26.08.2021 (गुरूवार)** को **प्रातः 11.00 बजे माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लाक परिसर** में की जायेगी। दुकानों के उपयोग व नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते आवेदन पत्र के साथ संलग्न है जिन्हे इच्छुक व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **12.08.2021** से **21.08.2021** तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रूपये 100.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक **21.08.2021** तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 2.00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट **www.allahabadhighcourt.in** पर भी उपलब्ध है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'वरिष्ठ निबन्धक, हाई कोर्ट, लखनऊ' के नाम रूपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान/केबिन के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दुकानों/केबिनों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के गेट नम्बर– 6 के निकट, फैजाबाद रोड की तरफ स्थित **'पास सेक्शन'** में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में **दिनांक 12.08.2021** से **21.08.2021 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे** तक प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक – 10/08/2021

Sd/-
निबन्धक (न्या0) (प्रशासन)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

Shops in 'M' block -

Sl. No.	Shop No.	Total Area of the Shops (in square feet)	Type of Shop
1	1	174.21	Travel Agent
2	2	184.99	Collection Centre of Samples for Pathological Test
3	4	185.82	Milk Booth (Parag)
4	5	189.15	Fresh Juice and Fresh Cut Fruits
5	6	182.50	Fresh Juice and Fresh Cut Fruits
6	101	174.21	Photographer
7	102	184.99	Photographer
8	106	182.50	Internet Cafe for E-Mail/Scanned Mail/Digital Signature [without wired connection (through dongle/ any other wireless mode)
9	107	179.19	Medicine Shop

Cabins in 'M' block -

Sl. No.	Cabin No.	Total Area of the Cabins (in square feet)	Type of Shop
1	20	57	Band/Gown/Coat Seller
2	21	38	Stationery Seller
3	22	38	Stationery Seller
4	47	38.52	Typist
5	111	38	Stamp Vendors
6	115	38	Typist
7	119	38	Stationery Seller
8	121	38	Lai Chana & Pop Corn

Terms and Conditions of Auction

1. The shops/cabins will be auctioned for grant of license from 1st September, 2021 till the end of this financial year (i.e. **31.03.2022)** on 'as is where is' basis.

2. For participating in the auction, the bidder shall have to deposit Rs.30,000.00 (Thirty Thousand only) for Shops and Rs.10,000.00 (Ten Thousand only) for Cabins in cash as earnest money, which after completion of the auction, shall be returned to unsuccessful bidders as per rules and in case of successful bidder, the earnest money will be adjusted in his annual license fees.

3. For participating in the auction, the interested persons shall have to apply on the prescribed application form of Rs.100.00, which may be obtained from the prescribed desk of the Pass Section on any working day from 12.08.2021 to 21.08.2021 at 10.00 A.M. to 02.00 P.M. Duly filled application forms may be submitted from 12.08.2021 to 21.08.2021 at 10.00 A.M. to 02.00 P.M. in the Pass Section.

   The said Application Form is also available on the official website of the Allahabad High Court *(www.allahabadhighcourt.in)* and may be downloaded from there. But, in such condition, the applicant is required to deposit the requisite amount of Rs.100.00 (Rupees One Hundred Only) through the Bank Draft drawn in favor of Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

4. Shops/Cabins, which are to be auctioned, may be inspected by the bidders at 'M' Block of High Court Building, one day before the date of Auction i.e. on 25.08.2021 during working hours after duly obtaining the pass/permission from Gate No. 6. It will be the duty of the bidders to carry out the complete inspection of the above-mentioned shops/cabins before bidding.

   Any information regarding the auction may be obtained from the prescribed desk of the Pass Section on any working day from 12.08.2021 to 21.08.2021 at 10.00 A.M. to 02.00 P.M.

5. Minimum Reserve Price for the shops and cabins are tabulated below in TABLE -C *(the shop/cabin is being auctioned for the duration nearly 7 months i.e. From 1st September, 2021 till the end of this financial year (i.e. 31.03.2022))* and the person, who offers the highest bid for the concerned shop/cabin, will be allotted that shop/ cabin.

TABLE - C

Sl. No.	Shop No.	Type of Shop	Minimum Reserve Price (in Rs.)
1	1	Travel Agent	146000 (One Lakh Forty Six Thousand)
2	2	Pathological Test	146000 (One Lakh Forty Six Thousand)
3	4	Milk Booth (Parag)	195000 (One Lakh Ninety five Thousand)
4	5	Fresh Juice and Fresh Cut Fruits	137000 (One Lakh Thirty Seven Thousand)
5	6	Fresh Juice and Fresh Cut Fruits	137000 (One Lakh Thirty Seven Thousand)
6	101	Photographer	147000 (One Lakh Forty Seven Thousand)
7	102	Photographer	134000 (One Lakh Thirty Four Thousand)
8	106	Internet Cafe for E-Mail/Scanned Mail/Digital Signature without wired connection (through dongle/ any other wireless mode)	146000 (One Lakh Forty Six Thousand)
9	107	Medicine Shop	137000 (One Lakh Thirty Seven Thousand)

Sl. No.	Cabin No.	Type of Cabin	Minimum Reserve Price (in Rs.)
1	20	Band/Gown/Coat Seller	111000(One Lakh Eleven Thousand)
2	21	Stationery Seller	41000 (Forty one thousand)
3	22	Stationery Seller	45000 (Forty Five Thousand)
4	47	Typist	34000 (Thirty Four Thousand)
5	111	Stamp Vendors	12000 (Twelve Thousand)
6	115	Typist	12000 (Twelve Thousand)
7	119	Stationery Seller	15000 (Fifteen Thousand)
8	121	Lai Chana and Popcorn	27000 (Twenty Seven Thousand)

*- ***Minimum Reserve Price rounded off to nearest thousand.***

6. The bidder whose final bid is accepted, will be required to deposit 25 percent amount of the bid money, after adjusting the earnest money, immediately. If 25 percent money is not deposited immediately by the bidder, then the bid shall be deemed cancelled automatically and the earnest money will be forfeited.

   In this situation, the Auction Committee shall have the right to offer the shop/cabin to the next highest bidder and such bidder shall have to comply the above conditions also. In case the next highest bidder also fails to deposit 25 percent money, the concerned shop / cabin may be auctioned afresh.

7. The successful bidder will have to deposit the remaining 75 percent amount ***through Bank Draft drawn in favour of Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow,*** within 15 working days from the date of auction, else 25 percent deposited amount by the bidder shall be forfeited in favour of the Hon'ble High Court.

8. The successful bidder shall have to deposit the 'Indemnity Amount' of Rs.25,000.00 (Twenty Five Thousand only) for Shop and Rs.10,000.00 (Ten Thousand only) for Cabin within 15 working days from the date of auction. This amount may be adjusted against the dues, if any, of electricity charges and others at the end of financial year 2021-22. In case of no dues the said 'Indemnity Amount' shall be returned to the licensee at the end of financial year 2021-22.

9. Before taking over the possession of shop, the successful bidder shall have to sign/enter into a one year license agreement with the High Court on the non judicial stamp paper of Rs. 100.00.

10. Successful bidder, to whom the shop/cabin is allotted, shall vacate the shop/cabin by removing all his belongings before 07.00 p.m. on 31.03.2022, failing which the Court will take over the possession of the shop/cabin. In any case the licensee of the Shop / Cabin continues possession of Shop / Cabin even after 31.03.2022 then the due amount will be recovered by way of recovery as arrear of Land Revenue through Collector as decided by the Court.

11. The shop/cabin shall be used only for the purpose, for which it was auctioned and not for any other purpose.

12. The successful bidder is bound to maintain the shop/cabin in neat and clean condition. For this purpose, he/she will have to keep a dustbin of appropriate size for disposal of all kind of wastes.

13. The successful bidder shall not alter the structure of the shop/cabin in any manner and will not cause any damage to the shop/cabin.

14. The shop/cabin holder shall be responsible for safety of the articles kept in the shop/cabin himself/herself and the High Court, under no circumstances, shall be liable for theft, burglary, fire or any other incident, if any.

15. The shop/cabin may be used from 9.00 A.M. to 7.00 P.M. on all working days.

16. A sub-meter has been installed for the electricity being used in the shop and the allottee of the shop has to deposit the electricity charges every month, as per the meter reading, in accordance with electricity rates prevailing in Uttar Pradesh and the cabin holder will be required to deposit the fixed electricity charges calculated as per prevailing rate in the Cash Section of the High Court.

17. A normal electric connection has been provided in the shops. If any allottee intends to install some specific electrical appliances which requires special electric fitting, he/she may arrange the same at his/her own expenses with prior permission of the Hon'ble High Court and the same will be un-installed at the time of vacating the shop by the allottee at his/her own cost.

18. One person will be allotted only one shop/cabin on license. No person shall be allotted more than one shop/cabin.

19. The person who is allotted shop/cabin on license, shall use the shop/cabin himself/herself and not allow any other person to operate the shop/cabin.

20. The successful bidder, after getting the shop/cabin on license, can not transfer the shop/cabin to any other person.

21. With regards to Photocopy shop, any person to whom the shop is allotted on license, can keep a maximum of three photocopy machines in a shop.

22. The High Court Administration shall have the right to carry out the inspection of the premises of any shop/cabin without any prior notice during the working hours on any working day.

23. In case of non-compliance of the above-mentioned conditions by the licensee, the High Court reserves the right to revoke the license.

24. The Auction Committee reserves the right to reject any bid without assigning any reason. The acceptance of the final bid shall be subject to the approval of the Competent Authority.

25. In case of any dispute with regard to auction proceeding, the jurisdiction shall be at Lucknow.

26. Any other terms and conditions, if required, shall be disclosed by the Auction Committee, just before the Auction.

27. The number of Shops and Cabins to be auctioned may vary subject to the availability of Shops and Cabins on the date of Auction.

By order of
Sd/-
Registrar (J) (Admin.)
High Court, Lucknow

<u>नीलामी की शर्तें</u>

1. दुकान/केबिन, 'जहॉ है जैसी है' की स्थिति में **दिनांक 01.09.2021 से 31.03.2022** तक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेंगी।

2. **दुकानों** के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **जमानत राशि रू0 30,000/– (तीस हजार मात्र)** एवं **केबिनों** के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **जमानत राशि रू0 10,000/– (दस हजार मात्र)** नकद जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम जमानत राशि उसके अनुज्ञप्ति शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन–पत्र पर, जिसका मूल्य रूपये 100.00 प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोकि माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **12.08.2021** से **21.08.2021** तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तथा पूर्ण रूप से भरे जाने के पश्चात् इन आवेदन पत्रों को दिनांक **12.08.2021** से **21.08.2021** तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 2.00 तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

   उक्त आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट **www.allahabadhighcourt.in** पर भी उपलब्ध है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये <u>**आवेदन पत्र के साथ 'सीनियर रजिस्ट्रॉर, हाई कोर्ट, लखनऊ बेन्च, लखनऊ' के नाम रूपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान/केबिन के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।**</u>

4 नीलाम होने वाली दुकानों/केबिनों को नीलामी वाले दिन दिनांक **26.08.2021** से एक दिन पूर्व, दिनांक **25.08.2021** को गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास/अनुमति प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय में स्थित 'एम' ब्लाक में देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त दुकानों/केबिनों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

   नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **12.08.2021** से **21.08.2021** तक **प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक** प्राप्त की जा सकती है

5. **किसी भी दुकान / केबिन** की बोली हेतु **न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञप्ति शुल्क)** निम्नलिखित होगा और जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली बोलेगा उसको वो दुकान / केबिन आवन्टित कर दी जाएगी :–

   <u>**दुकान की सूची : –**</u>

कम सं0	दुकान सं0	दुकान की प्रकृति	न्यूनतम निर्धारित मूल्य (रूपये में)
1	1	ट्रैवल ऐजेन्ट	1,46,000 (एक लाख छियालिस हजार)
2	2	पैथोलॉजिकल टेस्ट	1,46,000 (एक लाख छियालिस हजार)
3	4	मिल्क बूथ (Parag)	1,95,000 (एक लाख पंचान्नबे हजार)
4	5	फ्रेश जूस व फल	1,37,000 (एक लाख सैंतीस हजार)
5	6	फ्रेश जूस व फल	1,37,000 (एक लाख सैंतीस हजार)
6	101	फोटोग्राफी शाप	1,47,000 (एक लाख सैतालिस हजार)

7	102	फोटोग्राफी शाप	1,34,000 (एक लाख चौंतीस हजार)
8	106	इण्टरनेट कैफे फॉर ई–मेल/ स्कैन्ड मेल/डिजिटल सिग्नेचर, बिना वॉयर्ड कनेक्शन (डॉन्गल के माध्यम से/अन्य किसी वॉयरलेस माध्यम से)	1,46,000 (एक लाख छियालिस हजार)
9	107	मेडिसिन शाप	1,37,000 (एक लाख सैंतीस हजार)

<u>केबिन की सूची : –</u>

कम सं0	**केबिन सं0**	**केबिन की प्रकृति**	**न्यूनतम निर्धारित मूल्य (रूपये में)**
1	20	बैण्ड/गाउन/कोट	1,11,000 (एक लाख ग्यारह हजार)
2	21	स्टेशनरी सेलर	41,000 (इक्तालिस हजार)
3	22	स्टेशनरी सेलर	45,000 (पैतालिस हजार)
4	47	टाइपिस्ट	34,000 (चौतीस हजार)
5	111	स्टैम्प वैण्डर	12,000 (बारह हजार)
6	115	टाइपिस्ट	12,000 (बारह हजार)
7	119	स्टेशनरी सेलर	15,000 (पन्द्रह हजार)
8	121	लाई चना एवं पॉपकॉर्न सेलर	27,000 (सत्ताइस हजार)

** न्यूनतम निर्धारित मूल्य को निकटतम हजार तक पूर्णाकित किया गया है।*

6. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की **25 प्रतिशत धनराशि (जमानत धनराशि समायोजित करने के पश्चात् शेष धनराशि की)** तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नही की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

   इस स्थिति में नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित दुकान/केबिन को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा ऐसे बोलीदाता को बोली से सम्बन्धित उपरोक्त शर्तों को पालन करना होगा। यदि दूसरे नम्बर का बोलीदाता भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित दुकान/केबिन की नीलामी नये सिरे से की जाएगी।

7. शेष 75 प्रतिशत धनराशि सफल व्यक्ति को **'सीनियर रजिस्ट्रॉर, हाई कोर्ट, लखनऊ बेन्च, लखनऊ' के पक्ष में निर्गत बैंक ड्राफ्ट** के माध्यम द्वारा नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके पहले से जमा 25 प्रतिशत धनराशि भी नीलामी समिति के विवेकानुसार जब्त कर ली जाएगी।

8. नीलामी में सफल व्यक्ति को अनुज्ञप्ति शुल्क के साथ रू0 25,000/– (पच्चीस हजार मात्र) दुकान के लिए तथा रू0 10,000/– (दस हजार मात्र) केबिन के लिए 'इन्डेमनिटी धनराशि' के रूप में नीलामी के दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करना होगा। उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अन्त में विद्युत बिलों के भुगतान एवं अन्य देयकों में समायोजित कर ली जाएगी। कोई देय शेष न रहने की स्थिति में उक्त 'इन्डेमनिटी धनराशि' लाईसेंस धारक को वापस कर दी जाएगी।

9. बोली में सफल व्यक्ति को दुकान/केबिन लेने से पूर्व रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर माननीय उच्च न्यायालय के साथ एक वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।

10. बोली में सफल जिस व्यक्ति को दुकान/केबिन दी जायेगी, वह व्यक्ति दिनांक **31.03.2022** तक दुकान/केबिन से अपना सामान हटा कर सायं 07.00 बजे तक या उससे पहले दुकान खाली कर देगा, अन्यथा कोर्ट द्वारा दुकान/केबिन का कब्जा ले लिया जायेगा। इसके उपरान्त भी किसी स्थिति में दुकान/केबिन का कब्जा लाईसेंस धारक द्वारा न छोडे जाने पर शेष देय धनराशि कलेक्टर के माध्यम से भू–राजस्व की भॉति माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार वसूल की जाएगी।

11. जिस उद्देश्य हेतु दुकान/केबिन की नीलामी की जायेगी, वह दुकान/केबिन उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग की जायेगी, अन्य किसी प्रकार से नही।

12. बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा। बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन में उचित आकार का कूड़ेदान रखेगा तथा कूड़ा–कचरा उसी कूड़ेदान मे डालेगा।

13. बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नही करेगा और न ही दुकान/केबिन को कोई नुकसान पहुचायेगा।

14. दुकान/केबिन में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लाईसेंस धारक की होगी तथा माननीय उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नही होगा।

15. दुकान/केबिन का संचालन प्रत्यके कार्य दिवस को सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 तक किया जा सकेगा।

16. दुकान मे प्रयोग की जाने वाली बिजली के लिये अलग से एक सब–मीटर लगा हुआ है तथा दुकान लेने वाले व्यक्ति को मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल प्रति माह उ0 प्र0 में प्रचलित बिजली दर के अनुसार उच्च न्यायालय के कैश विभाग में जमा करना होगा।

17. दुकानों में सामान्य बिजली कनेक्शन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह मा0 उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है। इस स्थिति में दुकान को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को अपने खर्चे पर हटाना होगा तथा ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नही कारित की जायेगी।

18. एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान/केबिन अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान/केबिन अनुज्ञप्ति पर नही दी जायेगी।

19. जिस व्यक्ति को दुकान/केबिन अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति को वह दुकान/केबिन संचालन हेतु नही देगा।

20. बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर दुकान/केबिन प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान/केबिन हस्तांतरित नही कर सकता है।

21. फोटोकापी की दुकान/केबिन के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, जिसको दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जाती है, वह दुकान/केबिन में अधिकतम <u>तीन फोटोकापी मशीन ही रख सकता है</u>।

22. माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान किसी भी दुकान/केबिन के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

23. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

24. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे तथा अन्तिम बोली सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।

25. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

26. नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों की जानकारी आवश्यकता पड़ने पर दी जायेगी।

27. नीलामी की जाने वाली दुकानों और केबिनों की संख्या नीलामी वाले दिन दुकानों और केबिनों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तित हो सकती है।

आज्ञा से,

Sd/-

निबन्धक (न्या0) (प्रशासन)

उच्च न्यायालय, लखनऊ।

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

<u>केबिन हेतु</u>

<u>आवेदन पत्र</u>

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के '**M - Block**' में स्थित
<u>केबिन</u> को दिनांक 01.09.2021 से 31.03.2022 तक
की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. केबिन की श्रेणी :
(जो लागू हो उस पर टिक √ कर दे)
   (1) स्टेशनरी सेलर हेतु ______
   (2) टाईपिस्ट हेतु ______
   (3) बैण्ड/गाउन/कोट सेलर हेतु ______
   (4) लाई चना एवं पॉपर्कान हेतु ______
   (5) स्टैम्प वैण्डर हेतु ______

2. प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम : ____________________
(जिसके नाम आवेदन किया जाना है)

3. पिता/पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम : ____________________

4. लिंग : ____________________

5. उम्र : ____________________

6. पता : ____________________
____

7. मोबाईल नम्बर : ____________________

7. राष्ट्रीयता : ____________________

8. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से डाउन लोड किया गया है तो : ____________________
डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम ____________________
डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम ____________________
डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या ____________________
डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि ____________________

दिनांक :
संलग्नक

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नोट : (1) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राईविंग लाईसेन्स / पैन कार्ड की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
(2) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 21.08.2021 तक है।

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

<u>दुकान हेतु</u>

<u>आवेदन पत्र</u>

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के '**M - Block**' में स्थित
<u>दुकान</u> को दिनांक 01.09.2021 से 31.03.2022 तक
की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. दुकान की श्रेणी :
   (जो लागू हो उस पर टिक √ कर दे)
   (1) ट्रैवल एजेन्ट हेतु ______
   (2) फोटोग्राफी हेतु ______
   (3) मिल्क बूथ हेतु ______
   (4) फ्रेस जूस एण्ड फ्रेस कट फ्रूट्स हेतु ______
   (5) इन्टरनेट कैफे हेतु ______
   (6) मेडिसिन शॉप हेतु ______
   (7) कलेक्शन सेन्टर ऑफ सैम्पल्स फॉर पैथोलॉजिकल टेस्ट हेतु ______

2. प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम : ________________________
   (जिसके नाम आवेदन किया जाना है)

3. पिता/पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम : ________________________

4. लिंग : ________________________

5. उम्र : ________________________

6. पता : ________________________
   ____

7. मोबाईल नम्बर : ________________________

7. राष्ट्रीयता : ________________________

8. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से : डाउन लोड किया गया है तो ________________________

   डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम ________________________

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम ________________________

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या ________________________

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि ________________________

दिनांक : **आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर**

संलग्नक

नोट : (1) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राईविंग लाईसेन्स / पैन कार्ड की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

(2) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 21.08.2021 तक है।